

संयुक्त पैरामेडिकल, फार्मसी एवम् नर्सिंग प्रवेश परीक्षा –
2021
सी.पी.पी.एन.ई.टी.–2021 (CPPNET – 2021)



उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई, इटावा

विवरण पुस्तिका (INFORMATION BROCHURE)

विश्वविद्यालय के पैरामेडिकल, फार्मसी एवम् नर्सिंग पाठ्यक्रमों के सत्र
2021–22
में प्रवेश हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा (CPPNET – 2021)

ऑनलाईन आवेदन प्रारम्भ की तिथि– 06/12/ 2021

Online Application Starts from – 06/12/ 2021

ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि- 15/12/2021

Last Date of Online submission of
Application 06/12/ 2021

परीक्षा की तिथि –रविवार, 25/12/2021

Examination Date – 25/12/2021

पत्र व्यवहार का पता

Address for Correspondence

अध्यक्ष

सी.पी.पी.एन.ई.टी. – 2021

सी.पी.पी.एन.ई.टी. –सेल

(प्रशासनिक भवन, द्वितीय तल)

उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,

सैफई, इटावा – 206130

वेबसाइट : www.upums.ac.in OR

Helpline Email- upums.cppnet@gmail.com

Helpline No.: 022-61087579

Chairman

CPPNET – 2021

CPPNET - CELL

(Administrative Block, Second Floor),

Uttar Pradesh University of Medical Sciences,

Saifai, Etawah - 206130

Website : www.upums.ac.in OR

Helpline Email- upums.cppnet@gmail.com

Helpline No.: 022-61087579

(1) सी.पी.पी.एन.ई.टी. – 2021 से सम्बन्धित मुख्य तिथियाँ

1.	ऑनलाईन आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि	06 दिसम्बर, 2021 प्रातः 9:00 बजे से
2.	ऑनलाईन आवेदन भरने की अन्तिम तिथि	15 दिसम्बर, 2021 रात्रि 12:00 बजे तक
3.	प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि	वेबसाइट पर सूचित की जाएगी।
4.	प्रवेश परीक्षा की तिथि	25 दिसम्बर, 2021 (शनिवार) अपरान्ह 02:00 बजे से अपरान्ह 04:00 बजे तक

(2) महत्वपूर्ण सूचनायें (Important Information)

1. सी0पी0पी0एन0ई0टी0–2021 से सम्बन्धित तिथियों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन होने की दशा में सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.upums.ac.in पर उपलब्ध करायी जायेगी।
2. सी.पी.पी.एन.ई.टी.–2021 परीक्षा से सम्बन्धित समस्त विधिक विवाद जिला न्यायालय, इटावा के क्षेत्राधिकार में होंगे।

परीक्षा एवम् प्रवेश सम्बन्धित समस्त सूचनायें विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.upums.ac.in पर प्रदर्शित की जायेंगी। अतः अभ्यर्थी उक्त वेबसाइट का समय-समय पर अवलोकन करते रहें। उक्त प्रक्रिया के सम्बन्ध में किसी भी कठिनाई में हेल्पलाईन नं0 022-61087579/ईमेल आई0डी0 upums.cppnet@gmail.com पर सम्पर्क कर सकते हैं।

(3) पाठ्यक्रमों (Courses) के नाम, अवधि, सीटों की संख्या व शैक्षणिक योग्यता

क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	संकाय	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या	शैक्षणिक योग्यता
1	बैचलर आफ फिजियोथेरेपी (B.P.T.)	पैरामेडिकल	4 वर्ष + 06 माह इन्टर्नशिप	60	इंटरमीडिएट (10+2) या समकक्ष परीक्षा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान (PCB) को मिलाकर 50 प्रतिशत (अनु0जाति/अनु0 जनजाति हेतु न्यूनतम 45 प्रतिशत) अंक सहित उत्तीर्ण। आयु- 31/12/2021 को 17 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
2	बैचलर आफ ऑप्टोमेट्री (B.Optom.)	पैरामेडिकल	4 वर्ष (3 वर्ष शैक्षणिक + 1 वर्ष इन्टर्नशिप)	60	
3	बैचलर आफ साइन्स इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी (B.M.L.T.)	पैरामेडिकल	3 वर्ष + 06 माह इन्टर्नशिप	60	
4	बैचलर आफ साइन्स इन रेडियोलॉजिकल इमेजिंग टेक्नीक्स (B.R.I.T.)	पैरामेडिकल	3 वर्ष + 06 माह इन्टर्नशिप	60	
5	बैचलर आफ फॉर्मसी (B.Pharm)	फार्मसी	4 वर्ष (08 सेमेस्टर)	60	इंटरमीडिएट (10+2) या समकक्ष परीक्षा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान अथवा गणित एवम् अग्रेजी विषय के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आयु- 31/12/2021 को 17 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
6	बैचलर आफ साइन्स इन नर्सिंग (B.Sc. Nursing)	नर्सिंग	4 वर्ष	60	<ul style="list-style-type: none"> • 10+2 with 45% marks in Physics, Chemistry and Biology taken together and passed in English individually. • Candidates are also eligible from state open school recognized by state government and National Institute of Open School (NIOS) recognized by central government having science subjects and English only. • Candidates belonging to SC/ ST/OBC the marks obtain in 3 core subjects shall be 40%. • 5% Disability reservation to be considered for disabled with a disability of locomotor to the tune of 40% to 50% of the lower extremity. आयु- 31/12/2021 को आयु 17 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।* The upper age limit shall be relaxed by 5 years for disabled candidates.
7	डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाइफरी (जी0एन0एम0 / G.N.M.)	नर्सिंग	3 वर्ष	60	<ul style="list-style-type: none"> • 10+2 with English and must have obtained a minimum of 40% at the qualifying examination and English individually from any recognized board. Candidates are also eligible from State Open School recognized by State Government and National Institute of Open School (NIOS) recognized by Central Government, however, Science is preferable. <p align="center">or</p>

					<ul style="list-style-type: none"> • 10+2 with English having 40% of marks in vocational ANM course from the school recognized by Indian Nursing council. or • 10+2 with English having 40% of marks in Vocational Stream-Health care Science from a recognized CBSE board/Centre. or • Registered ANM with pass mark. • 5% is relaxed for SC/ST candidates. <p>आयु- 31/12/2021 को 17 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।*</p>
8	डिप्लोमा इन ऑकजीलरी नर्स मिडवाइफरी (A.N.M.) (केवल महिलाओं हेतु)	नर्सिंग	2 वर्ष	50	<ul style="list-style-type: none"> • 10 + 2 in Arts (Mathematics, Physics, Chemistry, Biology, Bio-technology, Economics, Political Science, History, Geography, Business Studies, Accountancy, Home Science, Sociology, Psychology, and Philosophy) and English Core/English Elective or Science or Health care Science - Vocational stream ONLY passing out from recognized Board or NIOS. <p>आयु- 31/12/2021 को 17 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p>
9	डिप्लोमा इन ओटी0 टेक्नीशियन (D.O.T.)	पैरामेडिकल	2 वर्ष	30	<p>इंटरमीडिएट (10+2) या समकक्ष परीक्षा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान/गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण।</p> <p>आयु- 31/12/2021 को 17 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।</p>
10	डिप्लोमा इन इमरजेन्सी एण्ड ट्रामा केयर टेक्नीशियन (D.E.T.C.T.)	पैरामेडिकल	2 वर्ष	30	
11	डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री टेक्नीशियन (D. Optom.)	पैरामेडिकल	2 वर्ष	20	
12	डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन (D.P.T.)	पैरामेडिकल	2 वर्ष	20	
13	डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन (D.D.T.)	पैरामेडिकल	2 वर्ष	20	
14	डिप्लोमा इन सी0टी0 स्कैन टेक्नीशियन (D.C.T. Scan)	पैरामेडिकल	2 वर्ष	20	
15	डिप्लोमा इन कार्डियोलाजी टेक्नीशियन (D.C.T.)	पैरामेडिकल	2 वर्ष	20	
16	डिप्लोमा इन एम0आर0आई0 टेक्नीशियन (D.M.R.I.)	पैरामेडिकल	2 वर्ष	15	
17	डिप्लोमा इन ब्लड ट्रान्सफ्यूजन टेक्नीशियन (D.B.T.)	पैरामेडिकल	2 वर्ष	15	
कुल सीटें				660	

पैरामेडिकल, फार्मसी तथा नर्सिंग पाठ्यक्रमों के सत्र 2021-22 में प्रवेश हेतु उ0प्र0 सरकार के नवीनतम दिशा निर्देश मान्य होंगे।

(4) अर्हताएं (Eligibility Criteria)

1. अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है, किन्तु भारत के अन्य प्रदेशों के जिन अभ्यर्थियों ने हाईस्कूल एवम् इन्टरमीडिएट अथवा समकक्ष दोनों परीक्षाएं उ.प्र. से उत्तीर्ण की हो, वे भी परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र हैं (उन्हें मूल निवासी होने का प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं कराना होगा)। यदि उत्तर प्रदेश के किसी अभ्यर्थी द्वारा हाईस्कूल एवम् इन्टरमीडिएट अथवा समकक्ष दोनों, अथवा इन दो में से एक भी परीक्षा उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर से उत्तीर्ण की हो तो उन्हें उ0प्र0 के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
2. **आयु सीमा**— प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी की आयु दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 को 17 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। केवल बी0एस0सी0 नर्सिंग, (B.Sc. Nursing) जी0एन0एम0 (GNM) एवम् ए0एन0एम0 (ANM) पाठ्यक्रम हेतु अधिकतम आयु 31 दिसम्बर, 2021 को 35 वर्ष निर्धारित है।
3. ए0एन0एम0 (ANM) पाठ्यक्रम हेतु केवल महिला (Female) अभ्यर्थी ही पात्र हैं।
4. जो अभ्यर्थी जिस श्रेणी में आरक्षण का लाभ लेना चाहता है उस श्रेणी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। OBC वर्ग के छात्र/छात्राओं का जाति प्रमाण-पत्र 01 जुलाई, 2021 से पूर्व का नहीं होना चाहिये।

(5) आवेदन हेतु निर्धारित शुल्क

- ❖ आवेदन शुल्क सामान्य (UR)/अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आवेदकों के लिए रु. 2000.00
- ❖ आवेदन शुल्क अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (ST) अभ्यर्थियों के लिए रु. 1200.00

- ❖ अपने आवेदन फार्म का एक प्रिन्ट अवश्य ले लें और उसे Save भी कर लें। आवेदन क्रमांक नम्बर को लिख लें, पत्राचार में इसकी आवश्यकता पड़ेगी।
- ❖ अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन करने में अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न करें। किसी भी प्रकार की तकनीकी व्यवधान के लिए विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।
- ❖ फार्म को सफलतापूर्वक Submit किये जाने के उपरान्त आपके मोबाइल और ई-मेल आई.डी. मैसेज जायेगा।
- ❖ परीक्षा, प्रवेश-पत्र, काउंसिलिंग इत्यादि की सूचना समय-समय पर अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर प्रेषित की जायेगी। अतः अभ्यर्थी अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर को सक्रिय अवस्था में रखें। ई-मेल में inbox तथा Junk/spam का अवलोकन करते रहें।

आवेदन फार्म भरने में किसी भी प्रकार की सहायता हेतु हेल्प लाईन नं0 022-61087579 एवम् Helpline Email ID upums.cppnet@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है।

(6) परीक्षा कार्यक्रम (Examination Schedule)

सी.पी.पी.एन.ई.टी.-2021 (कम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट) का कार्यक्रम

परीक्षा तिथि— 25 दिसम्बर, 2021

समय	प्रश्नपत्र	
अपराह्न 02:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक	Paper - I: (Only For Science Students) A) Physics (भौतिक विज्ञान) B) Chemistry (रसायन विज्ञान) C) Biology (जीव विज्ञान) / Maths (गणित)	Number of Questions 33 33 34
	Paper - II: (Only For Arts/Commerce/Other Students) A) General Hindi (सामान्य हिन्दी) B) General English (सामान्य अंग्रेजी) C) General Studies (सामान्य अध्ययन)	Number of Questions 20 20 60

अभ्यर्थियों का परीक्षा केन्द्र में प्रवेश का समय – अपराह्न : 12:30 बजे से अपराह्न: 01:30 बजे तक (सामाजिक दूरी व अन्य सुरक्षा उपायों का पालन करते हुए)

नोट: अभ्यर्थी द्वारा जिन विषयों से इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की गयी है तथा आवेदन के समय अर्हता हेतु जिन विषयों का उल्लेख किया गया है, अभ्यर्थी को उसी विषय से सम्बन्धित प्रश्न पत्र (Paper – I or Paper - II) उपलब्ध कराया जाएगा।

S.No.	Eligibility Criteria	Eligible for Courses
1.	Intermediate (10+2) Physics, Chemistry, Biology & English (PCBE)	B. Pharm, B.Sc. (Nursing), B.M.L.T., B.P.T., B.R.I.T., B. Optom, G.N.M., A.N.M., D.O.T., D.Optom., D.P.T., D.D.T., D.CT. Scan, D.C.T., D.M.R.I., D.E.T.C.T. & D.B.T.
	Intermediate (10+2) Physics, Chemistry, Mathematics & English (PCME)	B. Pharm, G.N.M., A.N.M., D.O.T., D.Optom., D.P.T., D.D.T., D.CT. Scan, D.C.T., D.M.R.I., D.E.T.C.T. & D.B.T.
2.	Arts/Commerce/ Others	ANM & GNM

* बायोमेट्रिक उपस्थिति हेतु अभ्यर्थी अपने हाथों एवम् अंगुलियों पर मेहंदी, डाई, वैक्स, क्रीम इत्यादि का इस्तेमाल न करें। ऐसे अभ्यर्थी जिनके हाथों या अंगुलियों पर मेहंदी, डाई, वैक्स, क्रीम इत्यादि परीक्षा के समय लगी होगी उन्हें परीक्षा प्रक्रिया से विरत किया जा सकता है।

(7) आरक्षण (Reservation)

- आरक्षण हेतु शासन के द्वारा जारी नवीनतम दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
- आरक्षण प्राप्त करने हेतु शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी जाति प्रमाण-पत्रों को ही वैध माना जायेगा।
- सफल अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय में प्रवेश के समय मूल (Original) जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का जाति प्रमाण-पत्र दिनांक 01 जुलाई, 2021 अथवा उसके बाद का जारी हुआ ही वैध माना जायेगा।

(8) प्रवेश पत्र (Admit Card)

1. प्रवेश पत्र (Admit Card) विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.upums.ac.in पर उपलब्ध कराये जायेंगे। अभ्यर्थी वेबसाइट पर अपनी लॉगिन आईडी0 से प्रवेश पत्र स्वतः डाउनलोड कर प्रिंट करेंगे।

(9) परीक्षा परिणाम और ऑनलाईन काउंसिलिंग

1. **परीक्षा परिणाम:**— प्रवेश परीक्षा के उपरांत अभ्यर्थी को परीक्षा परिणाम के सम्बन्ध में सूचित किया जाएगा।
2. **ऑनलाईन काउंसिलिंग:**— परीक्षाफल की मेरिट एवम् अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश परीक्षा हेतु भरे गये आवेदन-पत्र में दी गई पाठ्यक्रमों की वरीयता के आधार पर, ऑनलाईन काउंसिलिंग के माध्यम से अभ्यर्थी को पाठ्यक्रम का आवंटन किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी आबंटित पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये सहमत होता है तो उसे रू0 10000.00 (रू0 दस हजार मात्र) तत्काल (24 घण्टे में) जमा कराना होगा अन्यथा यह मानते हुए कि अभ्यर्थी प्रवेश के लिए इच्छुक नहीं है, यह सीट अन्य अभ्यर्थी को नियमानुसार आवंटित कर दी जाएगी और इस सीट पर पूर्व में आबंटित अभ्यर्थी का कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(10) प्रवेश प्रक्रिया (Admission Process)

विश्वविद्यालय में प्रवेश के समय छात्र/छात्राओं को काउंसिलिंग के समय भरे गये आवेदन पत्र की प्रिंट आऊट के साथ मूल अभिलेख तथा उनकी दो-दो प्रतिलिपियाँ लाना आवश्यक होगा:—

1. सी.पी.पी.एन.ई.टी-2021 का प्रवेश पत्र एवम् एलाटमेन्ट लेटर।
2. जन्मतिथि प्रमाण हेतु हाईस्कूल का प्रमाण पत्र एवम् अंक पत्र।
3. इन्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र एवम् अंक पत्र।
4. बी.एस.सी./अन्य परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र अथवा अंक पत्र (यदि लागू हो)।
5. जाति (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
6. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/भूतपूर्व सैनिक/दिव्यांग/ई0डब्ल्यू0एस0 अभ्यर्थी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)।
7. उत्तर प्रदेश में निवास का प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)।
8. चरित्र प्रमाण-पत्र।
9. स्थानान्तरण (T.C.) अथवा माईग्रेशन (Migration) प्रमाण-पत्र।
10. रू0 10/- के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर रैगिंग न करने सम्बन्धी शपथपत्र (छात्र द्वारा)।
11. रू0 10/- के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर छात्र द्वारा रैगिंग न करने सम्बन्धी शपथपत्र (माता अथवा पिता द्वारा)।
12. आधार कार्ड की फोटोप्रतिलिपि।

13. सफल अभ्यर्थी को पूर्व में जमा किये गये रू0 10000.00 (रू0 दस हजार मात्र) के अतिरिक्त अपने पाठ्यक्रम की अवशेष शुल्क (निम्नलिखित तालिका-11 के अनुसार) जमा कराना अनिवार्य है। पूर्ण शुल्क जमा न किये जाने पर प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

(11) प्रशिक्षण शुल्क (Course Fee)

प्रशिक्षण शुल्क: – पैरामेडिकल/नर्सिंग/फार्मसी के विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु प्रशिक्षण एवम् छात्रावास शुल्क निम्न तालिका के अनुसार देय होगा :-

अनावासीय छात्रों हेतु (Day Scholar)

क्र. सं.	विवरण	डिग्री पाठ्यक्रम (वार्षिक)	डिप्लोमा पाठ्यक्रम (वार्षिक)
1.	प्रवेश शुल्क (केवल प्रवेश के समय)	रू0 2,000 /-	रू0 2,000 /-
2.	प्रशिक्षण शुल्क	रू0 22,500 /-	रू0 18,000 /-
3.	काशन मनी (रिफन्डेबल) (केवल प्रवेश के समय)	रू0 5,000 /-	रू0 5,000 /-
कुल शुल्क		रू0 29,500 /-	रू0 25,000 /-

आवासीय छात्रों हेतु (Hosteler)

क्र. सं.	विवरण	डिग्री पाठ्यक्रम (वार्षिक)	डिप्लोमा पाठ्यक्रम (वार्षिक)
1.	प्रवेश शुल्क (केवल प्रवेश के समय)	रू0 2,000 /-	रू0 2,000 /-
2.	प्रशिक्षण शुल्क	रू0 22,500 /-	रू0 18,000 /-
3.	काशन मनी (रिफन्डेबल) (केवल प्रवेश के समय)	रू0 5,000 /-	रू0 5,000 /-
4.	छात्रावास (Double Sharing) व विद्युत उपभोग शुल्क	रू0 4,800 /-	रू0 4,800 /-
कुल शुल्क		रू0 34,300 /-	रू0 29,800 /-

- प्रवेश प्राप्त करने के पश्चात यदि अभ्यर्थी प्रवेश निरस्त करने हेतु अनुरोध करता है तो शुल्क वापस करने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त शुल्क में किसी भी प्रकार की कोई भी छूट अनुमन्य नहीं है।

परीक्षा से सम्बन्धित समस्त सूचनायें एवं अपडेट परीक्षा की वेबसाईट पर उपलब्ध कराये जायेंगे। अतः समस्त अभ्यर्थी लगातार वेबसाईट देखते रहें।

विभिन्न प्रकार के Certificate जो कि प्रवेश के समय उपलब्ध कराये जाने है, उनके प्रारूप नीचे दिये गये है।

प्रारूप-1

उत्तर प्रदेश राज्य में सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र के लिए (केवल शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश एवं सेवायोजन के प्रयोजन हेतु)
आवेदन पत्र का प्रारूप।

आवेदक का नाम

पिता/माता का अथवा पति/पत्नी का नाम

(क) आवेदक अथवा उसके माता-पिता के उस जनपद के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र (यदि है तो)

(ख) माता/पिता का जन्म स्थान (कब हुआ, मूल निवास कब से है, कब से कब तक).....

(ग) उत्तर प्रदेश के उक्त जनपद में अचल सम्पत्ति का विवरण (यदि हो)

अभिलेखीय साक्ष्य के साथ

अथवा

सामान्य तौर से माता/पिता के निवासी होने (तीन वर्ष से अधिक अवधि से अस्थायी रूप से निवासी होने) विषयक प्रमाण पत्र (ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम प्रधान द्वारा तथा शहरी क्षेत्र में नगर पालिका एवं उप नगर में टाउन एरिया के सक्षम अधिकारी द्वारा दिये जाने वाला प्रमाण पत्र).....

पूरा वर्तमान पता

थानातहसील

जनपद (तथा पिछले तीन वर्षों से निवास करने का पता, कब से कब तक)

उत्तर प्रदेश के उक्त जनपद में निवास करने की अवधि

(अभिलेखीय साक्ष्य के साथ उपर्युक्त बिन्दु-4 में की गयी व्यवस्थानुसार)

7(क) आवेदक का जन्म स्थान

(ख) जन्म तिथि(ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रधान द्वारा, शहरी क्षेत्र में नगर पालिका तथा उप नगर में टाउन एरिया के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होगा)

8- स्थायी पता

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, अतः उस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश का प्रकाशिकता वेब साइट <http://shasanaadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

9- क्या आपने किसी अन्य जिला या प्रान्त से निवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया है
(हों/नहीं)..... (यदि हो तो उसकी अनुप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें)

10-प्रमाण पत्र किस प्रयोजन हेतु चाहिए

मैं..... घोषणा करता/करती हू कि उपरोक्त समस्त सूचनायें सत्य हैं व
मेरी स्वयं की जानकारी के आधार पर दी गयी है जिसके लिए मैं पूर्णतया उत्तरदायी हूँ।

आवेदक का पूरा नाम

तथा हस्ताक्षर

(नोट :- आवेदक के फोटो की एक अन्य प्रति फोटो के पीछे सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर व मुहर
सहित आवेदन पत्र के साथ नत्थी की जाय।)

सत्यापन

1- श्री/श्रीमती/कुमारी.....
(जिनका अभिप्रमाणित फोटो इस आवेदन पर लगा है) पुत्र/पुत्री/पत्नी
..... निवासी/निवासिनी मकान नम्बर
.....ग्राम/मोहल्ला.....
पोस्ट.....जनपद..... उत्तर प्रदेश को
मैं वर्षों से जानता हूँ।

2- श्री/श्रीमती/कुमारी..... वर्षों से
उक्त पते पर निवास कर रहा/रही है।

अथवा

3- श्री/श्रीमती/कुमारी.....
पुत्र/पुत्री/पत्नी की या उसके माता/पिता
की ग्राम/मोहल्ला..... तहसील
जिला.....में अचल सम्पत्ति है।
दिनांक:

हस्ताक्षर,

सत्यापनकर्ता का नाम

पदनाम व मुहर।

उपरोक्त प्रस्तर-2 या 3 में से किसी एक का सत्यापन वांछनीय है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणीकता वेब साइट <http://shasanedesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

सक्षम अधिकारी/जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त सामान्य निवास प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है

श्री/श्रीमती/कुमारी
पुत्र/पुत्री/पत्नी
मकान नंबर
मुहल्ला थाना
उत्तर प्रदेश का/की निवासी का वर्तमान पता
.....

फोटो की एक प्रति चस्पा करने के बाद सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित व मुहर लगाकर प्रमाणित की जाय।

उपर्युक्त की पुष्टि प्रारूप-1 में आवेदक एवं सत्यापनकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना तथा इससे संतुष्ट हो जाने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा उत्तर प्रदेश के इस जनपद में सामान्य निवासी होने (वतकपदंतपसल त्मेपकमदज) विषयक प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

हस्ताक्षर
जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी,
का नाम व मुहर।

उपर्युक्त प्रमाण पत्र किसी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश अथवा किसी सेवायोजन हेतु आवेदन करने के लिए ही केवल जारी किया गया है तथा इससे नागरिकता प्राप्त करने का कोई संबंध नहीं है। उल्लेखनीय है कि नागरिकता का विषय दि सिटीजनशिप एक्ट-1955 में यह स्पष्ट रूप से प्राविधानित है तथा यह भारत सरकार के विचार क्षेत्र का विषय है। यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता पर प्रश्नचिन्ह हो अथवा इस पर विचार किया जाना हो तो प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से शासन को प्रस्तुत होगा, जिसे अंततः भारत सरकार को विचारार्थ प्रेषित कर दिया जायेगा।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जरी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://www.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

प्रमाण पत्र

उत्तर प्रदेश भूतपूर्व सैनिक { UP ES }
(अन्तिम यूनिट के आफिसर कमान्डिंग द्वारा प्रमाणित)

संख्या-

दिनांक :

प्रमाणित किया जाता है कि श्री निवासी
..... ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारतीय सेना में अधिवर्षता आरम्भ
कर दिनांक को सेवानिवृत्त हुए हैं या थे/भारतीय सेना की राक्षस सेना गजल
में कर्तव्यों के निर्वहन के लिए युद्ध में आहत/युद्ध में अपंग होने के कारण वीरगति/अक्षमता प्राप्त
की थी।

वीरगति/अक्षमता प्राप्त करने से पूर्व श्री भारतीय
सेना की यूनिट में नियुक्त थे।

दिनांक - सेना की संबन्धित यूनिट के अधिकारी के
हस्ताक्षर तथा सील

अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर दिनांक

दिनांक
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु0 निवासी
..... उपरोक्त श्री के पुत्र/पुत्री है।

अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर
दिनांक

जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर तथा
सील

युद्ध में शहीद/युद्ध में अपंग सैनिक का नाम
युद्ध में शहीद/युद्ध में अपंग सैनिक का स्थायी पता
थल/नम/जल जो उपयुक्त, अभ्यर्थी का नाम
यूनिट की संख्या व पता

प्रमाण पत्र
{ UP FF }

प्रारूप-4

संख्या-

दिनांक :

(उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम-1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण पत्र का प्रपत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती

निवासी

....., ग्राम, तहसील, नगर

जिला उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित) पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरोक्त अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित हैं

स्थान :

दिनांक :

अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर

हस्ताक्षर :

पूरा नाम :

पद नाम :

मोहर :

जिलाधिकारी
(.....)

Government of
(Name & Address of the authority issuing the certificate)

INCOME & ASSEST CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS

Certificate No. _____

Date: _____

VALID FOR THE YEAR _____

This is to certify that Shri/Smt./Kumari _____ son/daughter/wife of _____ permanent resident of _____, Village/Street _____ Post Office _____ District _____ in the State/Union Territory _____ Pin Code _____ whose photograph is attested below belongs to Economically Weaker Sections, since the gross annual income* of his/her 'family** is below Rs. 8 lakh (Rupees Eight Lakh only) for the financial year _____. His/her family does not own or possess any of the following assets*** :

- I. 5 acres of agricultural land and above;
 - II. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
 - III. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;
 - IV. Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.
2. Shri/Smt./Kumari _____ belongs to the _____ caste which is not recognized as a Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes (Central List)

Signature with seal of Office _____
Name _____
Designation _____

Recent Passport size
attested photograph of
the applicant

*Note 1: Income covered all sources i.e. salary, agriculture, business, profession, etc.

**Note 2: The term "Family" for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years

***Note 3: The property held by a "Family" in different locations or different places/cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.